

पर्व डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

गिनो 254/2025

1. सुभाषचन्द्र पूनियां पुत्र औमप्रकाश
 2. रामकुमार पुत्र औमप्रकाश
 3. दलीप कुमार पुत्र देवीलाल
 4. दौलतराम पूनियां पुत्र देवीलाल
- अकवाम जाट निवासीयान डबलीकलां तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
वादीगण

बनाम्

1. औमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासीयान डबलीकलां तहसील टिब्बी
2. देवीलाल पुत्र सुरजाराम जिला हनुमानगढ़।
3. माया पत्नी प्रमोद कुमार पुत्री औमप्रकाश जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. किरण पत्नी अनिल कुमार पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 16/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है क. वादीगण सं० 1 सुभाषचन्द्र पूनियां व वादीसं० 2 रामकुमार को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी चक नं० 11 डीबीएल के खाता सं० 94/48 में अंकित कुल 11.260 है० आराजी में प्रतिवादी सं० 1 औमप्रकाश का 781/8445 हिस्सा व चकनं० 4 एम. एस. टी. एस. एम. रहित के खाता सं० 82/76 में अंकित कुल 11.8180 है० आराजी में प्रतिवादी सं० 1 औमप्रकाश का 1/6 हिस्सा

ख. वादीगण सं० 3 दलीप कुमार व वादीसं० 4 दौलतराम पूनियां को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी चक नं० 11 डीबीएल के खाता सं० 94/48 में अंकित कुल 11.260 है० आराजी में प्रतिवादी सं० 2 देवीलाल का 781/8445 हिस्सा व चकनं० 4 एम.एस.टी. एस. एम. रहित के खाता सं० 82/76 में अंकित कुल 11.8180 है० आराजी में प्रतिवादी सं० 2 देवीलाल का 1/6 हिस्सा

इसी अनुसार वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर चक न० चकनं० 11 डीबीएल के खाता सं० 94/48 व चनं० 4 एम. एस. टी. एस. एम. रहित के खाता सं० 82/76 में से प्रतिवादी सं० 1 औमप्रकाश व प्रतिवादी सं० 2 देवीलाल का नाम कलमजन

डिक्री
कलक्टर
टिब्बी

किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/9/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(रात्यनारायण R.A.S)

सुप्रखण्ड अधिकारी (राजस्व)
परम-साहायक कलक्टर टिब्बी।
टिब्बी

